

पत्रांक 13/म4-31/2000रोड्यू 122  
लैकेन्ड्री, प्राथमिक सर्व व्यस्क शिक्षा विभाग, बिहार

पृष्ठ

प्री मोहीउद्दीन तालिका  
विषयों निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

तिता म.

सचिव,  
लैकेन्ड्री बोर्ड आफ लैकेन्ड्री स्कूलेसन,  
शिक्षा केन्द्र-2, कम्प्युनिटी लैन्टर, प्रीत बिहार,  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2003

विषय:- लैकेन्ड्री द्वेषी पालिका लैकेन्ड्री लैकेन्ड्री स्कूलेसन,  
नई दिल्ली रो सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियत करने के  
रायथ म.

महाराजा,

'उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि  
दिनांक 24-12-02 को निजी विद्यालयों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियत किए  
जाने के तर्थे मैं उपर्युक्त समिति को बधक भै संवेदन्मति है तिर यह नियाय के  
आत्मों मैं लैकेन्ड्री द्वेषी पालिका लैकेन्ड्री स्कूलेसन,  
नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्बद्धता इस इत्तम् के साथ देने मैं क्रोड आपत्ति नहीं  
है कि विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नियुक्त शिक्षक/कमियों को राज्य सरकार के  
प्रबंधक/शिक्षकीतर कमियों के लिए अनुमान्य योग्यता इनमें सर्व भूतता के अनुसम्म योग्यता  
सर्व भूतता का भूतान उनके द्वारा सुनियित किया जाय।

2- इसकी दूसरी रूपरूपी विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव तो लाया दोगा।

विश्वरामाजन,

मोहीउद्दीन तालिका

विषयों निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

पत्रांक 122

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2003

प्रतिलिपि रायथ जिला पंडालिकारी/रायथ उप विधान  
निदेशक/रायथ जिला पंडालिकारी सर्व रायथ विद्यालय के प्राचार्य को  
दूसरा रव आवश्यक कर्त्तव्य प्रृष्ठित।

2- शिक्षणिक गुणवत्ता को सुनियित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष  
कम-तौ-कम एक बार विद्यालय को निरोद्धारा किया जाएगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को नियत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
निरस्त/वापरता की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है-

1- अपर्युक्त प्रमाण-पत्र है लिए सम्पत्ति कागजात सर्व अभिनेत्र जाली  
पर्ये जाने अथवा वर्गतात्त्विक दिधति तो नियन्त होने पर।

U. Chandra  
16-06-2021

PRINCIPAL  
SECONDARY DELHI PUBLIC SCHOOL  
GAYA